म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल

क./बी–6/नियमन/फल–सब्जी/212/734 भोपाल,दिनांक 04/12/2020

प्रति,

संयुक्त/उप संचालक
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
आंचलिक कार्यालय ....समस्त।

विषयः–फल–सब्जी मंडी मे संपन्न विकय संव्यवहारो मे कमीशन की दर के संबध मे।

संदर्भः–कार्यालयीन आदेश कमांक/बी–6/1–3/उप./संशो./पार्ट/171 दिनांक 01.2.16

संदर्भित आदेश से प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियो मे अधिसूचित फल–सब्जी विपणन के लिए उपविधि सन् 2000 की कंडिका 5(4) को संशोधित करते हुए फल–सब्जी मंडी मे संपन्न विकय संव्यवहारो मे नियोक्ता व्यापारी से कमीशन की दर विकय मूल्य का 2 प्रतिशत नियत की गई थी। कतिपय मंडी समितियो मे फल–सब्जी हेतु निर्धारित कमीशन की दर से अधिक कमीशन लिये जाने के संबंध मे शिकायत प्राप्त हो रही है जो कि उपविधि के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि अधीनस्थ मंडी समितियो मे अधिसूचित फल–सब्जी मंडी मे नियोक्ता व्यापारी से 2 प्रतिशत की दर से ही कमीशन लिया जाना सुनिश्चित करावे।

3.12.20
(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क./बी–6/नियमन/भुगतान/369/735 भोपाल,दिनांक 04/12/2020
प्रतिलिपि :–

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति ....समस्त **की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

3.12.20
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

letter 19-20

म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क्रमांक/बी-6/ग-3/एफ./संशो./पार्ट/171 भोपाल, दिनांक 01/02/2016

-:: आदेश ::-

म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 81 की उपधारा (1) एवं (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुये प्रदेश की कृषि उपज मंडियों मे अनासूचित फल एवं सब्जी विपणन के उद्देश्य से कृषि उपज मण्डी समितियों मे लागू "फल-सब्जी विपणन के लिये उपविधि सन् 2000" मे संशोधन की अपेक्षा करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29/02/2016 तक उपविधि सन् 2000 की कंडिका 5 की उप कंडिका 4 में संशोधन किया जाकर अनिवार्य रूप से स्थापित कर अर्थात् :-

कंडिका (5) की उप कंडिका (4) में शब्द "विक्रय मूल्य का 7 प्रतिशत" के स्थान पर "विक्रय मूल्य का 2 प्रतिशत" स्थापित किया जाता है।

विनिर्दिष्ट कालावधि मे मण्डी समिति द्वारा "फल सब्जी विपणन के लिये उपविधि सन 2000" में उपरोक्तानुसार संशोधन करने मे असफल रहने की स्थिति में "फल-सब्जी विपणन के लिए उपविधि सन 2000" के उक्त संशोधन म.प्र.कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के या उसके अधीन बनाये गये नियमो के उपबन्धों के अनुसार मण्डी समिति द्वारा किये गये समझे जाएगे और तदुपरि उक्त संशोधन दिनांक 01/03/2016 से मण्डी समिति पर आबद्धकर होगे।

(अरूण पाण्डेय)
प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

आंचलिक कार्यालय संयुक्त संचालक
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड इन्दौर

क्रमांक/बोर्ड/यो.प्र./बी-4-2/2015-16/995 इन्दौर दिनांक 02/02/16

प्रतिलिपि:-

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.......................की ओर उपरोक्त विषयक संबध में निर्देशानुसार कार्यवाही की जाकर पालन प्रतिवेदन समयावधि में इस कार्यालय को भेजा जाना प्रतिवेदन करें।